दिनांक ..06.5.22..
आज पत्रावली पेश हुई। वकील..उभय.
पक्ष उपस्थित। पी..ओ. साहब कहा पदस्थापन (नहीं) हो चुका है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ....07.6.22..
को पेश हो।

रीडर

दिनांक ..07.06.22..
आज पत्रावली पेश हुई। वकील....उभय
पक्ष उपस्थित। पी..ओ. साहब ~~बाहर पधारे~~ हैं। पी.ओ. स्थानान्तरण हो चुका है
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ...18.7.22..
को पेश हो।

रीडर

18.7.22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अकबरपुर तहसील महवा की आराजी ख० नं० 26, 26/338, 27, 29, 30, 44, 47, 48, 49, 50 किता 56 कुल किता 16 रकबा 4.34 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 भाग है एवं अप्रार्थी का हिस्सा 1/4 भाग है। अप्रार्थी बाहर नौकरी करता था जो नौकरी पर होने के सायल का खास भाई है। प्रार्थी शामलाती काश्त करता चला आ रहा था और हिस्सा की फसल अप्रार्थी को देता रहा।

उपखण्ड अधि[illegible]
महवा जिला दौ[illegible]

...मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिका...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम ....
	मु. सं.

भूमि का कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। जमीन को प्रार्थी एवं अप्रार्थी व दावा के प्रतिवादीगण आपसी मन समाई से सिरस निरस बोते रहे हैं। आराजी में सामलाती पुख्ता चाह बनाया था जिसका ख०नं० 44 है जिससे सभी खातेदार सिंचाई करते रहे बाद में कुआ सूखने के बाद प्रार्थी द्वारा अपनी अलग गहरी बोरिंग लगा और अप्रार्थी द्वारा भी अलग बोरिंग लगा ली है। पक्षकार इसी आराजी में काफी समय से रहने लगे। ख०नं० 44 में स्त्रीराम, हजारी व हंसराम ने सामलाती मकान बनाया था लेकिन काफी समय बाद प्रार्थी ने ख०नं० 44 में अलग 3-4 गट्टे की पाटौर पोश घर बनाया तथा बाद में कुछ पुख्ता कमरे का निर्माण किया तथा इसी के प्रार्थी की गहरी बोरिंग लगी हुई है। प्रार्थी अनपढ़ वृद्ध सीधा सादा गरीब आदमी है तथा अप्रार्थी हजारी पढ़ा लिखा व पैसे वाला है। लोक डाउन में स्थिति का फायदा उठाकर लट्ठ के बल पर अपने हिस्से से अधिक भूमि में अप्रार्थी द्वारा पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करने लग गया सायल के मना करने पर नहीं माना और मारने पीटने पर आमदा हो गया। यदि अप्रार्थी अपनी धमकी में कामयाब हो गया तो प्रार्थी के अधिकारों का हनन होगा जिसकी अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो सकेगी। अतः अप्रार्थी सं० 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 2 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा प्रार्थना-

Scanned by CamScanner

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्र का जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया है कि हम सभी खातेदार बाहमी रूप से विभाजन कर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र के मद 1 लगा. 7 स्वीकार किये हैं। प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यों दर्शाये हैं जो किसी प्रकार चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के उपयोग - उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई है। हमारा कब्जा व हिस्सा के अनुसार विभाजन कर दिये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रार्थी की आराजी ख० नं० ५५८८ रिहायश बनी है उसके अप्रार्थी सं० 1 पुख्ता बाउण्ड्री नहीं करें। इस पर अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि हमने कोई पुख्ता निर्माण बाउण्ड्री नहीं की है स्वयं की हिस्सा में कार्य किया जावेगा यदि कानूनी बटवारा कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 में आपस पर हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 में आपस भू भाग को पुख्ता निर्माण बाउण्ड्री किये जाने का मामला प्रतीत होता है। अतानुसार दोनों पक्षों को कानूनी बटवारा होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 को वादपत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया	उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अ[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम............................ मु. सं.
	जाता है कि ग्राम अकबरपुर तहसील महवा की आराजी ख० नं० 26, 26/338, 27, 29, 30, 44, 47 लगा. 56 कुल किता 16 रकबा 4.34 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 किसी भी भूभाग में हिस्सा की आराजी तक बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे अधिकारों की क्षति पहुंचे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

Scanned by CamScanner